# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 120–2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 25, 2020 (BHADRA 3, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

**Notification**

The 25th August, 2020

**No. 32-HLA of 2020/75/11657**.— The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

**Bill No. 32–HLA of 2020**

**THE HARYANA VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2020**

A

BILL

*further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.*

Be it enacted by the Legislature of State of Haryana in the Seventy-first year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement.

**1.** (1) This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 31st March, 2020.

Insertion of section 18A in Haryana Act 6 of 2003.

**2.** After section 18 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003, the following section shall be inserted, namely:-

"18A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.— (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act in respect of actions which may not be completed or complied with due to force majeure in respect of goods included in the Entry 54 of the State List in the Seventh Schedule to the Constitution.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this Act.

**Explanation.—**For the purposes of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act.".

Repeal and saving.

**3.** (1) The Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No.2 of 2020), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of the spread of COVID-19 pandemic across many countries of the world including India and the restriction due to countrywide Lockdown, the assessments for the year 2016-17 to be finalized by 31st March, 2020 or other proceedings that had to be finalized by the due dates falling between the lockdown period, could not be completed. Therefore, it had become imperative to extend the time limits provided or prescribed in the Haryana Value Added Tax Act, 2003 so that pending proceedings could be completed and any proceeding require to be initiated could be finalized. To achieve this object, an amendment by way of insertion of a new section 18A in the Haryana Value Added Tax Act 2003 was promulgated by the Governor of Haryana *vide* notification no. Leg. 18/2020 published on 5th August, 2020 as the State Legislature of Haryana was not in session. In order to give effect to the above decision it will be necessary to regularize the Haryana Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No. 2 of 2020).

Hence the Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

---

Chandigarh:
The 25th August, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

*[प्राधिकृत अनुवाद]*

**2020 का विधेयक संख्या 32 एच.एल.ए.**

## हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020
## हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

**1.** (1) यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

(2) यह 31 मार्च, 2020 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2003 के हरियाणा अधिनियम 6 में धारा 18क का रखा जाना।

**2.** हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''18क. विशेष परिस्थितियों में समयावधि में वृद्धि के लिए सरकार की शक्ति.– (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के संबंध में ऐसी कार्यवाहियों, जिन्हें अनिवार्य बाध्यता के कारण पूर्ण नहीं किया जा सकता या जिनकी अनुपालना नहीं की जा सकती, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट, अथवा के अधीन विहित या अधिसूचित समयावधि में वृद्धि कर सकती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से पूर्व की तिथि से ऐसी अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति शामिल नहीं होगी।

**व्याख्या.–** इस धारा के प्रयोजनों हेतु, ''अनिवार्य बाध्यता'' अभिव्यक्ति से अभिप्राय है, युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकम्प या प्रकृति से उत्पन्न कोई अन्य आपदा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के लागूकरण को अन्यथा से प्रभावित करने वाला कोई मामला।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

**3.** (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

## उद्देश्यों और कारणों का विवरण

भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोविड–19 महामारी के फैलाव तथा लॉकडाउन के कारण देशव्यापी प्रतिबंध के कारण लॉकडाउन अवधि में वर्ष 2016–17 के कर निर्धारण या अन्य कार्यवाही को नियत तिथियों पर अंतिम रूप दिया जाना था जो कि पूरा नही हो सका। इसलिए, इस समय मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में दी गई समय सम्बन्धित अवधियों को बढाने की आवश्यता थी ताकि लंबित कार्यवाही पूरी की जा सके और किसी भी कार्यवाही को शुरू करने की आवश्यकता को अंतिम रूप दिया जा सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन की आवश्यकता थी जो कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 में एक नई धारा 18क के रूप में डाल कर पूरी की गई। चूंकि तब हरियाणा विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था, इसके लिए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा एक अध्यादेश संख्या लैज.18/2020 द्वारा 5 अगस्त, 2020 को प्रकाशित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) को किग्रान्वित करना आवश्यक होगा।

अतः यह विधेयक।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

---

चण्डीगढ़ :
दिनांक 25 अगस्त, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8878—H.V.S.—H.G.P. Pkl.